81 · 10 - 8 (ए०)

(42)

सत्यमेव जयते

भारत सरकार

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

GOVERNMENT OF INDIA

NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES

छठी मंजिल, 'बी' विंग, लोक नायक भवन
खान मार्किट, नई दिल्ली–110003
6th Floor, 'B' Wing, Lok Nayak Bhawan
Khan Market, New Delhi-110 003

File No.BBM/5/2011/STGDH/SEHRMT/RU-I

Dated 16.11-2011

सेवा में

श्री बीर भान मीना
निवासी 556, गली नं.-10
वेस्ट कान्ति नगर,
दिल्ली-110051

विषय: कृष्णा नगर थाना पुलिस द्वारा नाजायज रूप से तंग करने, गिरफ्तार करने एवं मानव अधिकारों का हनन कर, जातिगत आधार पर प्रताड़ित करने के संबंध में आपका अभ्यावेदन दिनांक 09-08-2011।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर आपके अभ्यावेदन दिनांक 09-08-2011 का संदर्भ लेने का कष्ट करें इस संबंध में आपके मामले में आयोग में दिनांक 02-11-2011 समय 11.30 बजे पुलिस उपायुक्त, जिला पूर्वी दिल्ली के साथ सम्पन्न हुयी चर्चा का कार्यवृत्त दिनांक 14-11-2011 की एक प्रति तथा उनसे प्राप्त आख्या दिनांक 09-11-2011 की एक-एक छायाप्रति आपके सूचनार्थ संलग्न प्रेषित की जा रही है।

भवदीय,

(बी० राम)
अनुसंधान अधिकारी (आर.यू.-II)

संलग्नक: उपरोक्त 03 Pages

6543
16/11/11

OFFICE OF THE DY. COMMISSIONER OF POLICE : EAST DISTRICT : DELHI.

No. 44416 /Compt./East (DA-II), Dated, Delhi, the 7/11 /2011.

To

Shri B. Ram,
Research Officer,
National Commission for Scheduled Tribes,
Govt. of India,
6th Floor, B Wing
Lok Nayak Bhawan,
Khan Market,
New Delhi 110001.

Subject:- Representation dated 13/9/11 from Shri Beer Bhan Meena, House No.556,Gali No.10, West Kanti Nagar, Krishna Nagar, Delhi reg. matter of harassment.

****

Sir,

Please refer to your office letter No.BBM/5/2011/STGDH/SEHRMT/RU-I dated 17/10/11 and , on the subject cited above.

The issue pertains to an incident wherein the complainant Shri Beer Bhan Meena had reportedly handed over three persons to the local police on the spot one of whom was in possession of a country made pistol while the other was carrying a knife. The complainant has alleged that proper course of action was not taken. Complainant has also alleged that SHO, Krishna Nagar had passed derogatory remarks/caste based words upon him.

An enquiry conducted by ACP/P.G. Cell/East has revealed that Sh. Rahul R/o. 1/10, West Kanti Nagar, Delhi, the nephew of the complainant , was married to Smt. Ekta Sadh D/o. Sh. Pratap Singh, R/o. 220, Gali No. 5, West Kanti Nagar, six years ago. Out of the said wedlock a female child was born (aged 2 years at present). After the death of the father-in-law of Smt. Ekta Sadh two years ago, the mother-in-law, husband and brother & sister-in-law of Ekta Sadh allegedly started harassing her and demanded dowry. On 22.01.11, Smt. Ekta Sadh filed a complaint with CAW Cell/East District against her in-laws. She had been living at her parental house separately from her husband. On 17.07.11 while Ekta was on way to her home from Satnam Sabha Kendra alongwith her daughter, her sister-in-law, brother-in-law, husband and mother-in-law forcibly took away her daughter and threatened her for withdrawal of complaint from CAW Cell. Consequently, Smt. Ekta Sadh made a complaint at Police Station Krishna Nagar. The local police traced the in-laws, husband of Smt. Ekta and also restored the baby girl to the mother.

On 26.07.11 a PCR call vide DD No. 47A, was received at PS Krishna Nagar at 11.22 PM regarding quarrel at 220, Gali No.5, West Kanti Nagar, the parental house of Smt. Ekta Sadh. This call was entrusted to SI Girish Kumar. SI Girish Kumar reached the given address i.e Gali No. 1, Kanti Nagar and found two groups involved in a quarrel. On enquiry, it came to notice

that complainant and his relative Vijay Pal had come to the parental house of Smt. Ekta Sadh, where a quarrel took place between both the parties. on some matrimonial issue between Smt. Ekta and Rahul. The complainant, Sh. Birbhan Meena and Sh. Vijal Pal on one side and Sh. Vinesh Kumar and Sh. Lokesh Kumar on other side were found involved in quarrel. There was every likelihood of commission of a cognizable offence by either of the parties. Therefore, legal action under section 107/151 CrPC was taken by SI Girish keeping in view the circumstances and to prevent the commission of a cognizable offence.

After an hour, another PCR call vide DD No. 3A was received at 00.27 hrs at PS Krishna Nagar, alleging that a boy had been caught along with Katta at 1/10, near Bhooteshwar Mandir, West Kanti Nagar, Delhi. i.e. house of the sister of the complainant. This PCR Call was entrusted to HC Sukhbir No. 944/E. HC Sukhbir reached the spot i.e Gali No.1 where PCR caller Sh. Narender S/o. Lt. Rohtash R/o. 4/22/130, Shankar Nagar, Krishna Nagar, Delhi handed over a person namely Pradeep Kumar, a relative of Smt. Ekta Sadh alongwith a loaded Katta to HC Sukhbir. On the complaint of Sh. Narender a case vide FIR No. 205/11 u/s 25/27/54/59 Arms Act was registered at PS Krishna Nagar against Pradeep.

During enquiry, relatives of the complainant viz. Shri Vinesh Sadh s/o Partap Singh and Anil who were also present with the complainant in the room of SHO at the time of alleged incident of passing derogatory remarks by the SHO were also examined. They have stated that the local police did not misbehave with either of the parties.During examination, they also stated that SHO/ Krishna Nagar did not pass any castiest remarks.

The local police has taken legal action on both the PCR calls. On first PCR call, preventive action under section 107/151 CrPC was taken. On the second PCR call a case FIR No. 205/11 u/s 25/27/54/59 Arms Act have been registered. The local police had taken legal action against the wrong doer without prejudice. During enquiry, no evidence in support of allegation of passing derogatory/caste based remarks and atrocity on a person belonging to a scheduled tribe by SHO Krishna Nagar has come on record.

Yours faithfully,

9/11

(ASIF MOHD ALI)
DY. COMMISSIONER OF POLICE,
EAST DISTRICT, DELHI.

No. /Compt./East (DA-II), Dated, Delhi, the /2011.
Copy forwarded to :-

1. The Joint Secy.(GR), PGC, GNCT, I.P.Estate,, M. Block, Vikas Bhawan, New Delhi with ref to PGC's Endst. No.PGC/2011/Anx-II/DP/32999, dated 3/10/2011.

क्रम संख्या -7 (R) [illegible] /R.C.-II/11-11-2011 [illegible]

विषयः **कृष्णा नगर थाना की पुलिस के द्वारा श्री बीर भान मीना को जातिगत आधार पर प्रताड़ित करने के संबंध में श्री भैरु लाल मीना, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा पुलिस आयुक्त दिल्ली के साथ बैठक दिनांक 02-11-2011 समय 11.30 बजे की सम्पन्न हुयी चर्चा का कार्यवृत्तः-**

निधारित कार्यक्रम के अनुसार दिनांक 02-11-2011 समय 11.30 बजे श्री भैरु लाल मीणा, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, भारत सरकार, नई दिल्ली की अध्यक्षता में पुलिस आयुक्त द्वारा अधिकृत किए गए श्री आसिफ मोहम्मद अली, पुलिस उपायुक्त, पूर्वी जिला, दिल्ली, श्री ए.के.सिहं, थानाध्यक्ष, कृष्णा नगर, पूर्वी दिल्ली, श्री विजय कुमार, निरीक्षक (सतर्कता), पूर्वी दिल्ली के साथ अभ्यावेदक श्री बीर भान मीना के कथित आरोपों की सुनवाई कमरा नं. 22 में की गयी।

मामले की सुनवाई के दौरान आयोग की तरफ से श्री बी.राम, अनुसंधान अधिकारी तथा अभ्यावेदक श्री बीर भान मीना भी मौजूद थे।

बैठक में चर्चा के दौरान यह ज्ञात हुआ था कि अभ्यावेदक श्री बीर भान मीना के भांजे श्री राहुल मीना की शादी श्रीमती एकता पुत्री श्री प्रताप साध के साथ हुई थी। शादी के पश्चात एक पुत्री का जन्म भी हो गया था जो कि लगभग दो वर्ष की थी। राहुल और एकता के मध्य कुछ अनबन हो गई थी जिसके कारण राहुल व एकता अपने-अपने घरों पर अलग-अलग रहने लगे थे।

दिनांक 17-07-2011 को जब एकता अपनी पुत्री को गोद में लेकर अपने मायके जा रही थी तभी राहुल ने अपने घरवालों के साथ मिलकर एकता से अपनी पुत्री को जबरदस्ती छीन लिया। श्रीमती एकता द्वार लिखवाई गयी एफ.आई.आर. दिनांक 22/01/2011 को वापस लेने हेतु धमकाया/इस घटना के पश्चात श्रीमती एकता द्वारा अपनी बच्ची को छीने जाने के संबंध में राहुल एवं अन्य के विरुद्ध पुलिस को पुनः सूचना दी गई थी।

श्रीमती एकता की सूचनानुसार जब कृष्णा नगर थाना की पुलिस के द्वारा छीनी गयी बच्ची को बरामद करने के उद्देश्य से पुलिस राहुल को तलाश रही थी उसी समय पुलिस को एक स्थान पर दो गुटों में हाथापाई होते दिखी। जानकारी करने पर ज्ञात हुआ कि वीरभान मीना एवं उसके रिश्तेदार विजयपाल, श्रीमती एकता साध के माता-पिता के घर पर आये हुये थे जो कि आपस में झगड़ रहे थे। वीरभान मीना (अभ्यावेदक) एवं विजय पाल एक तरफ थे और दूसरी तरफ श्री विनेश कुमार एवं लोकेश कुमार तथा अन्य लोग थे जो कि आपस में झगड़ रहे थे। परिणामतः इन दोनो पक्षों में कहीं कोई गम्भीर घटना न हो जाय ऐसा विचार कर उप निरीक्षक श्री गिरीश कुमार के द्वारा दोनों पक्षों में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने हेतु दोनों पक्षों को सी.आर.पी.सी. की धारा 107/151 के तहत निरुद्ध किया गया।

घटना के एक घण्टे के पश्चात पी.सी.आर. कॉल के द्वारा सूचित किया गया कि थाना कृष्णा नगर अंतर्गत एक लड़का (राहुल मीना) एवं उसकी बहिन भूतेश्वर मंदिर के पास एक देशी कट्टा के साथ पकड़ लिया गया है। दूसरी तरफ हेड कान्सटेबिल श्री सूरवीर ने घटना स्थल पर पहुँच कर दूसरे पक्ष के श्री प्रदीप कुमार (रिश्तेदार श्री एकता साध) को देशी लोडिड कट्टा सहित पकड़ा। अतः हेड कान्सटेबिल श्री सूरवीर की शिकायत पर पी.सी.आर. कॉलर श्री नरेंद्र के द्वारा थाना कृष्णा नगर पर प्राथमिक सूचना रिपोर्ट संख्या 205/2011 धारा -25/27/54/59 आर्मस् एक्ट के तहत श्री प्रदीप कुमार आदि के विरुद्ध दर्ज की गयी।

(५८)

मामले के अन्वेषण के दौरान दूसरे पक्ष के श्री बीनेश साध पुत्र श्री प्रतापसिंह साध व अनिल इत्यादि भी थानाध्यक्ष कृष्णा नगर के कार्यालय में उपस्थिति थे। उपरोक्त के द्वारा बताया गया कि थानाध्यक्ष के द्वारा अभ्योदक बीरभान मीना एवं उनके अन्य सहयोगियों के लिए किसी प्रकार के जातिसूचक शब्दों का उच्चारण करके अपमानित नहीं किया गया था।

समस्त घटना पर पुलिस आयुक्त, पूर्वी जिला, दिल्ली से प्राप्त आख्या एवं बैठक में मामले पर की गयी सुनवाई का अवलोकन करने से ज्ञात हुआ है कि अभ्यावेदक श्री बीरभान मीना द्वारा थानाध्यक्ष, कृष्णा नगर के विरुद्ध लगाये गये आरोप सत्यापित नहीं हुये हैं क्योंकि थाना कृष्णा नगर के द्वारा दोनों पक्षों में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने हेतु दोनों पक्षो के विरुद्ध सी.आर.पी.सी. की धारा 107/151 एवं प्राथमिक सूचना रिपोर्ट संख्या 205/2011 आर्मस् एक्ट की धारा 25/27/54/59 के तहत निरोधात्मक कार्यवाही की गयी थी।

मुख्यतः यह प्रकरण अभ्यावेदक श्री बीरभान मीना के भान्जे श्री राहुल मीना द्वारा श्रीमती एकता साध से की गयी शादी है और शादी के पश्चात पति-पत्नी के मध्य पैदा हुई अनबन से उत्पन्न स्थिति है।

चर्चा के दौरान अभ्यावेदक श्री वीर भान ने स्वयं यह स्वीकार किया था कि घटना के पश्चात वर्तमान समय में दोनों पक्षों में कोई तनाव नहीं है ।

अतः बैठक दिनांक 02-11-2011 का कार्यवृत्त तथा पुलिस उपायुक्त, पूर्वी दिल्ली से प्राप्त आख्या का पूर्ण विवरण अवलोकनार्थ प्रस्तुत है। पुलिस उपायुक्त, पूर्वी दिल्ली से प्राप्त आख्या दिनांक 09-11-2011 की प्रति तथा दिनांक 02-11-2011 की बैठक का कार्यवृत्त की प्रति अभ्यावेदक श्री वीर भान को भेजने के वास्ते पत्र का प्रस्तावित प्रारूप अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

(बी.राम)
अनुसंधान अधिकारी (आर.यू.-2)
14-11-2011

संयुक्त सचिव ← O.L

माननीय सदस्य (बी.एल.एम.)

16/11/2011